न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 44 / 2018

RCMS Sace No. 2018/00326

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 मांगीलाल पुत्र गणेशराम जाति सिरवी निवासी गागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली		1 सरपंच, ग्राम पंचायत गागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 20.12.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत गागुड़ा द्वारा मिसल संख्या 76 / 2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 841 दिनांक 20.09.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का एक पुश्तैनी मकान ग्राम गागुडा की आबादी भूमि में आया हुआ स्थित है, जिसके पूर्व में आम रास्ता व सीमा 110 फीट, दक्षिण में आम रास्ता सीमा 88 फीट, पश्चिम मे आम रास्ता सीमा 86 फीट व उत्तर में दरवाजा सीमा 22 फीट का आया हुआ स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का रहवासीय मकान स्थित है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियम 145 के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था एवं ग्राम सचिव ने मौके पर नक्शा बनाया था। नाप निगरानी में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में दर्ज किया गया तथा मौके पर तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था एवं पुश्तैनी होने के कारण अस्थाई निर्णय द्वारा प्रार्थी को पट्टा जारी करने का पंचायत ने आदेश पारित किया था एवं आम आपत्ति नोटिस जारी किया था। जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जैर निगरानी आज्ञा के जरिये प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में जो पट्टा जारी किया गया, उसमें भूमि कम दर्शाते हुए कम

अति० जिला कलक्टर, पाली

क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है, जबकि प्रार्थी आवेदन पत्र एवं संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित क्षैत्रफल अनुसार काबिज है। अतः ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2004 को संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं निगरानी में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि का नाप लेकर संशोधित विक्रय विलेख जारी करने का आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गागुडा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहवासी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा भूमि की जो प्रस्थिति दर्शाई है, उसके अनुसार वांछित भूमि के पूर्व में आम रास्ता 22 फुट, पश्चिम में आम रास्ता 22 फुट, उत्तर में दरवाजा व आम चौक एवं दक्षिण में दरवाजा व आम सड़क होना अंकित किया। इसी अनुरूप नक्शा मौका तैयार किया गया है एवं उसी अनुरूप पट्टा भी जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी के संलग्न जो नक्शा प्रस्तुत किया है, उसमें तथा मिसल में जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें भिन्नता है। प्रार्थी द्वारा जो नक्शा निगरानी के साथ प्रस्तुत किया है, उसमें प्रश्नगत आराजी के पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम में दरवाजा होना दर्शाया है, जबकि स्वयं प्रार्थी द्वारा मिसल में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें प्रश्नगत आराजी के उत्तर में दरवाजा होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त निगरानी में प्रश्नगत आराजी की आकृति एवं मिसल में प्रश्नगत आकृति में भी भिन्नता है। चूंकि जिस मिसल में यह सम्पूर्ण कार्यवाही हुई है, वह मिसल प्रार्थी के आवेदन पत्र पर ही तैयार की गई है एवं सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायत कोरम में विधिवत प्रस्ताव लिया जाकर पूर्ण की गई है। यदि मौके एवं नक्शे में भिन्नता थी, तो प्रार्थी यह उज्र ग्राम पंचायत के समक्ष बैठक में उठा सकता था, जो प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया तथा पट्टा जारी होने के 14 वर्ष पश्चात निगरानी याचिका के जरिये पट्टे को संशोधित कराने का अनुतोष चाहा है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा पंचायत गागुड़ा द्वारा मिसल संख्या 76/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 841 दिनांक 20.09.2004 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली